15.03.2021	पत्रावलियां अव्यवस्थित तरीके से अलमारियों में बन्द रखी हुई थी। साफ–सफाई करने में पत्रावलियां मिली। पत्रावली अब तक पेश नहीं गई और न ही प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित तकाजा किया गया। पूर्व रीडर सेवानिवृत्त हो चुके है। इस वजह से आर्डर शीट अधूरी रह गई है। पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री अश्विन मरडिया अधिवक्ता उपस्थित। कलक्टर महोदय दीगर कार्यों में व्यस्थ है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12.04.2021 को पेश हो। रीडर
12.04.2021	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री अश्विन मरडिया अधिवक्ता उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा ने जाहिर किया कि पक्षकारान के बीच कृषि भूमि पर आने–जाने हेतु रास्ते के सम्बन्ध में राजीनामा हो गया है एवं माफिक राजीनामा रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को आने–जाने हेतु अलग से रास्ता दे दिया है, जिससे अपीलांट उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है एवं नोट प्रेस करते है। अतः अपीलांट की अपील जरिये नोट प्रेस के खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर,सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:16:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner